प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक
भूतत्व एवं खनिकर्म (Geology and Mining)
भोपाल (म0प्र0)/रायपुर (छत्तीसगढ़)/पटना (बिहार)/
देहरादून (उत्तराखण्ड)/उदयपुर(राजस्थान)/चंडीगढ़ (हरियाणा)।

संख्याः 1356/एम0—228/2017 (खनन नीति)(iv) दिनांकः 25, नवम्बर, 2019

विषयः खनिज वाहनों का विभागीय वेबसाईट पर पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में दिये गये आदेशों के अनुपालन में खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में उपखनिजों यथा बालू/मोरम/गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल mining.up.work121.com पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है। उक्त के अनुसार प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर ही उपखनिजों का परिवहन मान्य है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सीमावर्ती राज्यों के अभिवहन पास के साथ काफी संख्या में वाहन उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर खनिजों का परिवहन कर व्यापार करते है, परन्तु जॉच के दौरान इनके वैधानिकता की जॉच में कठिनाई होती है। उक्त के दृष्टिगत वाहनों जिनके द्वारा सीमावर्ती प्रदेश से उत्तर प्रदेश राज्य में खनिजों का परिवहन होता है, उनका भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल mining.up.work121.com पर पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य में आपसे सम्बन्धित प्रदेश से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन आगामी 01 माह के अन्दर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल mining.up.work121.com पर कराये जाने हेतु आपके प्रदेश के खनन परिहारधारकों एवं खनिज परिवहन कर्ताओं को अपने स्तर से निदेर्शित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 रोशन जैकब)
निदेशक।

R-railetter-2